प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 11.10.2024

थाना लोनी पुलिस द्वारा मुठभेड़ के दौरान 01 अभियुक्त गोली लगने से घायल/गिरफ्तार,कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर, 02 कारतूस(जिन्दा / खोखा) एवं मोटर साइकिल बरामद

आज दिनांक 10.10.24 को मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान निठौरा अन्डर पास की तरफ जाने वाले मार्ग पर अपराधी एवं थाना लोनी पुलिस में हुई मुठभेड़ के दौरान लूट, चोरी व छिनैती का अपराधी इमरान पुत्र जहीर निवासी इकराम नगर मुस्तफाबाद लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष बायें पैर में गोली लगने से घायल/गिरफ्तार हुआ है। मुठभेड़ में घायल / गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व के करीब एक दर्जन अभियोग दर्ज हैं।

बरामदगी का विवरण

1-एक मोटरसाईकिल सुपर स्पलेण्डर रंग लाल चोरी की बरामद,

2- 01 तमंचा 315 बोर

3- 02 कारतूस- (जिन्दा / खोखा)

अभि0 का आपराधिक इतिहास

अभि0 उपरोक्त के विरूद्ध थाना लोनी पर 03 अभियोग, थाना ट्रोनिका सिटी पर 05 अभियोग, थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग व दिल्ली में 02 अभियोग सहित कुल 11 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

अभि0 उपरोक्त थाना लोनी से पूर्व में जिला बदर रह चुका है।

गिरफ्तार करने वाली टीम

पुलिस टीम थाना लोनी गा0बाद

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 06.10.2024 को वादी द्वारा थाना मुरादनगर पर सूचना दी कि मेरी पुत्री उम्र 16 वर्ष को अभियुक्त सागर उर्फ चिंगारी पुत्र अनिल त्यागी निवासी ग्राम डिडौली थाना मुरादनगर गाजियाबाद द्वारा अपने साथ बहला फुसलाकर भगा ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा पीड़िता की बरामदगी व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात दिनांक 08.10.2024 को बरामद पीड़िता का उक्त मुकदमे में मेडिकल परीक्षण एवं धारा 180 BNSS की कार्यवाही की गयी व धारा 183 BNSS के बयानों की कार्यवाही की जा चुकी है। धारा 183 BNSS के बयानों के आधार पर मुकदमे में धारा 64 BNS व 3/4 पोक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

दिनांक 10.10.2024 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा लोकल मैनुअल ईनपुट के आधार पर अभियुक्त सागर उर्फ चिंगारी पुत्र अनिल त्यागी निवासी ग्राम डिडौली थाना मुरादनगर गाजियाबाद को ग्राम डिडौली से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त द्वारा पूछताछ के दौरान बताया कि उक्त लड़की से पहले से ही बातचीत होती रहती थी और मैं उस लडकी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया तथा शारीरिक सम्बन्ध बना लिये थे ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

सागर उर्फ चिंगारी पुत्र अनिल त्यागी निवासी ग्राम डिडौली थाना मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 19 वर्ष।

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक अवैध तमंचा बरामद।

दिनांक 10.10.2024 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त सनी पुत्र वीर सिंह निवासी बेगमाबाद बुदाना थाना मोदीनगर गाजियाबाद हाल किरायेदार संजयपुरी अंगूरी हॉस्पिटल के पास थाना मोदीनगर गाजियाबाद को बेगमाबाद बुदाना शमशान रोड से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर बरामद हुआ। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि लोगों में रौब जमाने के लिए मैं इस अवैध तमंचे से वीडियो बनाने के लिए निकला था कि पुलिस चेकिंग में पकड़ा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम /पता-

सनी पुत्र वीर सिंह निवासी बेगमाबाद बुदाना थाना मोदीनगर गाजियाबाद हाल किरायेदार पवन वर्मा का मकान संजयपुरी अंगूरी हॉस्पिटल के पास थाना मोदीनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 25 वर्ष।

बरामदगी का विवरण –

01 अवैध तमंचा 315 बोर बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मोदीनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत किय गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा अवैध चाकू के साथ अभियुक्त गिरफ्तार।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा दिनांक 10/11.10.2024 को रात्रि में चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त अंकित पुत्र छत्रपाल निवासी गांव नगला कोठी थाना खुर्जा नगर जिला बुलन्दशहर हाल किरायेदार शान्ति नगर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद को क्रॉसिंग गोल चक्कर से चित्रावन जाने वाले रास्ते पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से रात्रि मे गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद हुआ। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया गया कि मैं चोरी करने की फिराक में रात में घूम रहा था तथा अपनी आत्मरक्षा के लिए मैंने अपने पास 01 चाकू रखा हुआ था जिससे पकड़े जाने पर चाकू दिखाकर डराकर मौके से भाग सकूं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता -

अंकित पुत्र छत्रपाल निवासी गांव नगला कोठी थाना खुर्जा नगर जिला बुलन्दशहर हाल किरायेदार शान्ति नगर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद, उम्र करीब 30 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण-

01 अवैध चाकू

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 14 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब बरामद।

दिनांक 11.10.2024 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1. फतेह सिंह पुत्र वेदराम निवासी ग्राम तिगरी डगरपुर थाना खेकड़ा जिला बागपत 2. पप्पू पुत्र नानक चन्द निवासी रामफल वाटिका के पीछे, थाना अंकुर विहार गाजियाबाद को दीन दयाल स्कूल के सामने, डाबर तालाब थाना क्षेत्र अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 14 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि हम लोग यह शराब सस्ते दामों पर हरियाणा से खरीदकर लाते हैं और यहाँ लोगों को महंगे दामों में बेच कर पैसा कमाते हैं। आज भी हम लोग यह शराब लोगों को बेचने के लिए लाए थे कि पुलिस चेकिंग में पकड़े गये।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

1.फतेह सिंह पुत्र वेदराम निवासी ग्राम तिगरी डगरपुर थाना खेकड़ा जिला बागपत, उम्र करीब 44 वर्ष।

2.पप्पू पुत्र नानक चन्द निवासी रामफल वाटिका के पीछे, थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 47 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

अवैध 14 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्तों के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना अंकुर विहार पर आबकारी अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद व थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा लूट करने जा रहे अन्तर्राज्यीय गिरोह के 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध असलहा व चोरी की मोटर साइकिल बरामद

दिनांक-11/10/2024 को क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद व थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा लूट की घटना को अंजाम देने जा रहे अन्तर्राज्यीय गिरोह के 03 शातिर लुटेरों को थाना इन्दिरापुरम क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्तवपूर्ण सफलता हासिल की गयी, गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 04 पिस्टल .32 बोर, 03 जिन्दा कारतूस .32 बोर व चोरी की मोटर साइकिल बरामद हुई।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ पर अभियुक्त कृष्णकान्त उर्फ श्याम ने बताया कि वह बी0एस0सी0 तृतीय वर्ष मे है पिछले करीब 02 वर्षो से इसका मेल-जोल आपराधिक प्रवृत्ति के लोगो से हो गया जिनके साथ मिलकर लूट आदि की घटनाऐं कारित करने लगा। जिसमें पिछले वर्ष नोएडा व अलीगढ के कई थानो से जेल जा चुका है जेल से छूटने के बाद पुनः अपना गिरोह बनाकर अलीगढ, गाजियाबाद व दिल्ली एन0सी0आर0 में चोरी व लूट की घटनाऐं करने लगा। अभियुक्त विशाल ने पूछने पर बताया कि वह बी0ए0 पास है नौकरी न मिलने व खर्चे अत्यधिक होने के कारण गलत शोहबत में पड़ गया। पिछले 02 वर्षो से कृष्णकान्त उर्फ श्याम से दोस्ती हो गयी और उसके साथ चोरी व लूट की घटनाऐं कारित करने लगा। अभियुक्त हर्ष सैनी ने बताया कि वह भी बी0ए0 पास है और कृष्णकान्त उर्फ श्याम व विशाल का दोस्त है पूर्व में थाना अतरौली से बलात्कार के अभियोग में जेल जा चुका है जेल से छूटने के बाद अपने साथियों के साथ अवैध असलहे की तस्करी व लूट करने लगा। सभी अभियुक्तों ने बताया कि वह तीनों आपस में काफी अच्छे दोस्त है ये लोग आधुनिक जीवन शैली जीना चाहते है परन्तु इनके पास आमदनी का कोई जरिया नही है इस कारण ये लोग अपने शौक पूरे करने की चाहत मे लूट की वारदातें करने लगे, जिसमें पहले इन्होने अलीगढ मे लूट की उसके बाद नोएडा, गाजियाबाद व दिल्ली एन0सी0आर0 में लूट करने लगे। अभियुक्त हर्ष की दोस्ती परवेश पचौरी निवासी अलीगढ से थी जो अवैध असलहों की तस्करी का काम करता था, इन्होने परवेश पचौरी से असलहे लेकर पहले 2 से 5 हजार रूपये मुनाफे पर बेचने का काम किया तथा उसके बाद अपने पास असलहे रखकर राह चलते लोगो से डरा- धमकाकर लूट करने का काम करने लगे। लूट करने के लिए चोरी की मोटर साइकिल का इस्तेमाल करते थे जिससे यदि कहीं पकडे जाने का खतरा हो तो मोटर साइकिल छोडकर भाग जाये। लूट मे इन्हे जो भी पैसा मिलता था वह ये सब आपस में बराबर-बराबर बांट लेते थे और उन पैसों से अपने खर्चे व शौक पूरे करते थे। आज ये लोग गाजियाबाद में चोरी की मोटर साइकिल मय असलहों के लूट करने के इरादे से आये थे और पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिये गये।

पूछताछ पर इस गिरोह के अन्य साथियों व असलहे खरीदने-बेचने वालो के सम्बन्ध में महत्तवपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हुई है जिनके आधार पर टीम बनाकर गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1.कृष्णकान्त रावत उर्फ श्याम पुत्र जगवीर सिह निवासी बुल्लापुर थाना पाली मुकीमपुर जनपद-अलीगढ उम्र करीब 20 वर्ष

2.विशाल पुत्र राजकुमार उर्फ राजपाल निवासी ग्राम खेडिया दोखल थाना पाली मुकीमपुर जनपद-अलीगढ उम्र करीब 20 वर्ष

3.हर्ष सैनी पुत्र राकेश सैनी निवासी मौहल्ला सराय देवीदास थाना अतरौली जनपद-अलीगढ उम्र करीब 22 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

1.पिस्टल .32 बोर मय मैगजीन - 04 अदद

2.जिन्दा कारतूस .32 बोर- 03 अदद

3.घटना मे प्रयुक्त मोटर साइकिल सीबी शाईन रंग सिल्वर ग्रे – 01 (थाना सिहानीगेट से चोरी)

आपराधिक इतिहासः-

1.अभियुक्त कृष्णकान्त उर्फ श्याम के विरूद्ध अलीगढ मे 05, गौतमबुद्धनगर मे 01 व गाजियाबाद मे 02 कुल 08 अभियोग पंजीकृत है।

2.अभियुक्त विशाल के विरूद्ध अलीगढ में 01 व गाजियाबाद में 02 कुल 03 अभियोग पंजीकृत है।

3.अभियुक्त हर्ष सैनी के विरूद्ध अलीगढ में 01 व गाजियाबाद में 02 कुल 03 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

क्राइम ब्रान्च व थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम